न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –45/2017 जिला सीकर

1. शंकर पुत्र महादेव , जाति जाट, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी ढाणी चौधरियों वाली तन ग्रम बस्सी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. कालू राम पुत्र स्वर्गीय चौथूराम पुत्र मोठूराम, जाति जाट, निवासी ढाणी दीवानकावाली तन ग्रम ढाणी चौधरियों वाली , तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
2. गोरूराम पुत्र स्वर्गीय चौथूराम पुत्र मोठूराम, जाति जाट, निवासी ढाणी दीवानकावाली तन ग्रम ढाणी चौधरियों वाली , तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
3. रूपाराम पुत्र स्वर्गीय चौथूराम पुत्र मोठूराम , जाति जाट, निवासी ढाणी दीवानकावाली तन ग्रम ढाणी चौधरियों वाली , तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
4. रेखाराम पुत्र स्वर्गीय चौथूराम पुत्र मोठूराम जाति जाट, निवासी ढाणी दीवानकावाली तन ग्रम ढाणी चौधरियों वाली , तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
5. बंशीधर पुत्र स्वर्गीय चौथूराम पुत्र मोठूराम जाति जाट, निवासी ढाणी दीवानकावाली तन ग्रम ढाणी चौधरियों वाली , तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
6. तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 29.6.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री के.आर.शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री भंवर सिंह

निर्णय

दिनांक– 23.5.2018

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

सद्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 29.6.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम चौधरियें वाली ढाणी, तहसील खण्डेला , जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1311, 1312, 1313 1340 कुल किता 4 कुल रकबा 3.38 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 1309 व 1310 कुल किता 2 कुल रकबा 3.26 हैक्टेयर , खसरा नबर 1324, 1325, 1326, 1329, 1330, 1331, 1338, 1339, 1341, 1342, कुल किता 10 कुल रकबा 7.41 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 1327, 1328, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337 कुल किता 7 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर अवस्थित है जिनमें से भूमि खसरा नम्बर 1311, 1312, 1313 1340 कुल किता 4 कुल रकबा 3.38 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1309 व 1310 कुल किता 2 कुल रकबा 3.26 हैक्टेयर वाली भूमियों में से 2/5 हक व हिस्सा श्योला, चोखा पुत्र ईशरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 1324, 1325, 1326, 1329, 1330, 1331, 1338, 1339, 1341, 1342, कुल किता 10 कुल रकबा 7.41 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1327, 1328, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337 कुल किता 7 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 मंगला पुत्र ईशरा के नाम दर्ज रिकार्ड है । उपरोक्त भूमियों के राजस्व रेकार्ड में अंकित श्योला पुत्र ईशरा, चोखा पुत्र ईशरा व मंगला पुत्र ईशरा एक ही व्यक्ति है , जो अपीलान्ट शंकर एवं मिलकू पत्नी महादेव, श्रवणी पत्नी सुरेश, मनीष पुत्र सुरेश, सोनम पुत्र सुरेश , ताराचन्द पुत्र महादेव, मंगल

पुत्र महादेव का पारिवारिक सदस्य है तथा वह काफी वर्षों पूर्व फौत हो गया था , जिसके वारिसान में उसकी लडकियॅा बिडदी, आचुकी, धापु व धन्नी है , जो सभी शादीशुदा है । विवादित आराजी पर मिलकू वगैहरा ही काफी लम्बे समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है । उपरोक्त श्योला पुत्र ईशरा, चोखा पुत्र ईशरा व मंगला पुत्र ईशरा के स्थान पर जिनकू वगैहरा के खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने योग्य दावा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला से दिनांक 17.11.2015 को डिक्री किया जा चुका है । रेस्पोंडेन्ट 1 से 5 चौथूराम पुत्र मोठूराम के पुत्रगण है जिनके द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर के समक्ष एक दावा उनवानी कालूराम वगैहरा बनाम भूमिधारी बाबत घोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया , जिसमें वादग्रस्त भूमियों की जमाबन्दी में उनके पिता का नाम चोखा पुत्र ईशरा तथा चौथू पुत्र मोठू गलत रूप से अंकित होना बताया जबकि सही नाम चौथू पुत्र ईशरा है , लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता का वास्तविक नाम चौथू पुत्र मोठू ही है न कि चौथू पुत्र ईशरा । ग्रम पंचायत जयरामपुरा द्वारा दिनांक 6.7.2009 को इस संबंध में प्रमाण पत्र भी जारी किया है । उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के आदेश दिनांक 30.6.15 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा आनन फानन में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 115 दर्ज किया , जिसे तहसीलदार द्वारा तस्दीक करने से पूर्व नामांतरकरण में अंकित निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये बिना ही नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया कि निर्णय डिक्री में अंकित व्यक्ति चौथू पुत्र ईशरा के वारिस नहीं होकर चाथू पुत्र मोठू के वारिस है जबकि निर्णय व डिक्री से पूर्व जमाबन्दी में अंकित व्यक्ति चौखा पुत्र ईशरा सही व्यक्ति है । तहसीलदार ने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया ओर न ही विवादित भूमियों के कब्जे की जॅाच की । उक्त नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.6.17 द्वारा नामांतरकरण सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अनुपालना में भरे जाने के कारण उक्त निर्णय व डिक्री के प्रभावी रहते हुये इसमे किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है तथा नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 23.12.15 यथावत रखा है । अपीलान्ट द्वारा अति. कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 29.6.17 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 29.6.17 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 23.12.15 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये एक वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष उनवानी कालूराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला प्रस्तुत किया कि विवादित भूमियों की जमाबन्दी में उनके पिता का नाम चौखा पुत्र ईशरा व चौथू पुत्र मोठू गलत रूप से अंकित है जबकि सही नाम चौथू पुत्र ईशरा है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट 1 से 5 के पिता का वास्तविक नाम चौथू पुत्र मोठू है न कि चौथ पुत्र ईशरा । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता का नाम चौथू पुत्र मोठू होने तथा चौथू पुत्र ईशरा नहीं होने के सम्बन्ध में ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 6.7.2009 को एक प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है । रेस्पोंडेन्ट द्वारा

में चौथू पुत्र मोठू के स्थान पर चोथू पुत्र ईशरा अंकित करवाने हेतु वाद पेश किया था जिसमें मृतक खातेदार के वारिसान व काबिज काश्तकारो को बिना पक्षकार बनाये तथा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षिय निर्णय दिनांक 30.6.15 को पारित कर दिया एवं इस आदेश की अनुपालना में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामांतरकरण नियमों की पालना किये बिना ही तस्दीक कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.15 के खिलाफ अपील न्यायालय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के समक्ष उनवानी शंकर लाल बनाम कालूराम वगैहरा प्रस्तुत की हुई है , जो विचाराधीन है तथा इसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 28.3.2016 को स्थगन आदेश पारित करते हुये उभयपक्ष को आगामी आदेश तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है । ऐसी स्थिति अपीलाधीन आदेश विधिसम्यक नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण को उचिय व विधिसम्यक ठहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता का नाम चौथूराम पुत्र ईशरा राम था जो राजस्व अभिलेख में चौखा पुत्र ईशराराम व चौथू पुत्र मोठू राम सहवन से गलत दर्ज हो गया , जिसे दुरूस्त कराने हेतु रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष एक दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती पेश किया था जिसमें बाद सुनवाई व दस्तावेजात के परीक्षण उपरान्त निर्णय दिनांक 30.6.15 आदेश पारित कर ग्रम तन चौधरियों वाली , तहसील खण्डेला, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1311, 1312, 1313 1340 रकबा 3.38 हैक्टेयर हिस्सा 1/5 व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1309 व 1310 रकबा 3.26 हैक्टेयर में हिस्सा 1/5 की खातेदारी में वादीगण के पिता का नाम चोखा पुत्र ईशराम के स्थान पर चौथूराम पुत्र ईशरा राम तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1324, से 1326, 1329, से 1331, 1338, 1339, 1341, 1342 रकबा 7.41 हैक्टेयर के 1/4 हिस्सा व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1327, 1328, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337 रकबा 2.86 हैक्टेयर के 1/4 हिस्सा में वादीगण के पिता का नाम चौथू पुत्र मोठूराम के स्थान पर चौथूराम पुत्र ईशराम दुरूस्त किया गया । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय व डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 115 चौखा पुत्र ईशराराम के स्थान पर चौथूराम पुत्र ईशराराम व चौथू पुत्र मोठूराम के स्थान पर चौथूराम पुत्र ईशराम का दिनांक 23.12.15 को तस्दीक किया है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है उसे तब तक विधिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक जिस आदेश व डिक्री की अनुपालना में नामांतरकरण तस्दीक हुआ है, वह सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने भी प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.17 द्वारा नामांतरकरण सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अनुपालना में भरे जाने के कारण निर्णय व डिक्री के प्रभावी रहते हुये इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होना मानते हुये खारिज की है । अतः अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण उचित एवं विधिसम्यक होने से उन्हें यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्ररकण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के निर्णय दिनांक 30.6.15 द्वारा खातेदार का नाम दुरूस्त किये जाने पर उसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता का नाम चौखा पुत्र ईशराराम के स्थान पर चौथू राम पुत्र ईशर राम व चौथू पुत्र मोठूराम के स्थान पर चौथूराम पुत्र ईशराम के नाम भरे गये प्रश्नगत नामांतरकरण का है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2017 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अनुपालना में भरे जाने के कारण खारिज की है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दावे में उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के निर्णय दिनांक 30.6.15 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा अपील न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की हुई है जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 28.3.16 को पारित कर उभयपक्ष को आगामी आदेश तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 115 तहसीलदार खण्डेला द्वारा दिनांक 23.12.2015 को उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के निर्णय / डिक्री की अनुपालना में चौखा पुत्र ईशरराम के स्थान पर चौथू राम पुत्र ईशरराम एवं चौथू पुत्र मोठूराम के स्थान पर चोथू राम पुत्र ईशरराम के नाम तस्दीक किया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस आदेश की अनुपालना में नामांतरकरण तस्दीक हुआ है वह जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक उसके आधार पर तस्दीक नामांतरकरण को विधिक रूप से निरस्त नहीं जा सकता । अपीलान्ट का वाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमाधोपुर में विचाराधीन है तथा वाद में दिनांक 28.3.2016 को स्थगन आदेश पारित कर उभयपक्ष को आगामी आदेश तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है । विवादित भूमि में यदि अपीलान्ट के कोई हक हकूक हैं तो वे विचाराधीन वाद में ही तय होगें । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2017 से प्रश्नगत नामांतरकरण सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अनुपालना में भरे जाने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 23.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर